न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 152 / 2017

1 धन्नाराम पुत्र मोहन जाति माली निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
2 पन्नाराम पुत्र मोहन, जाति माली निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
3 हरलाल पुत्र मोहन जाति माली निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
4 श्रवण पुत्र मोहन जाति माली निवासी ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र गोविन्द
2 बाबूलाल पुत्र गोविन्द
3 मामराज पुत्र गोविन्द
4 मनोज पुत्र गोविन्द
5 सोनी देवी पत्नी गोविन्द जाति समस्त माली निवासीगण ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
6 राकेश पुत्र श्यामलाल
7 सुमन पुत्री श्यामलाल
8 सरोज पुत्री श्यामलाल
9 रिता पुत्री श्यामलाल
10 सुधा पुत्री श्यामलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

11 संतोष देवी पत्नी श्यामलाल
12 रूपलाल पुत्र गौरीशंकर
13 रमेश पुत्र गौरीशंकर
14 पवन उर्फ पिन्टु पुत्र गौरीशंकर
15 प्रमोद कुमार पुत्र गौरीशंकर
16 निखिल कुमार पुत्र दिनेश
17 रिन्कू पुत्र दिनेश
18 पूजा पुत्री दिनेश
19 सुनिता देवी पत्नी दिनेश
20 राजू पुत्री गौरीशंकर
21 मीना पुत्री गौरीशंकर
22 प्रेम पुत्री गौरीशंकर
23 सुमन पुत्री गौरीशंकर
24 किरण पुत्री गौरीशंकर जाति समस्त महाजन, निवासीगण ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
25 उप पंजीयक नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
26 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़, जिला झुन्झुनू दावा उनवानी धन्नाराम वगैरह बनाम बनवारी वगै. दावा संख्या 21/2014 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2017

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 29.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 21/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व जमीन हाल खसरा नम्बर 296, 257 कुल रकबा 1.49 हैक्टेयर सरहद मौजा डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू की खातेदारी हकुको की घोषणा का दावा पेश किया जो विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2017 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्टस के दावा को मनमर्जी से खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना गलत रूप से की है। अपीलान्ट ने अपनी प्लीडिंग को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखुबी साबित किया है। अपीलान्टस की प्लींडिग का खण्डन विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस की तरफ से नहीं रहा है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की प्लींडिग को व दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज किया है। अपीलान्टस ने अपनी टिनेन्सी के श्रोत को साबित किया है। जमीन जैर बहस अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के पूर्वज हणमान के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही और उत्तराधिकार में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

संख्या 1 से 5 के पूर्वज गोविन्द को मिली और प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा रहा व है। मौके पर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का भौतिक कब्जा व रिहायशा है। कब्जें काश्त व खातेदारी की ताईद राजस्व रिकार्ड से होती है। कानून से राजस्व रिकार्ड से टिनेन्सी पैदा नहीं होती और ना ही टिनेन्सी खत्म होती है बल्कि टिनेन्सी को साबित करना होता है जो अपीलान्टस द्वारा साबित की गई है। इस प्रकार विचारण न्यायालय को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के हक में दावा को निर्णित कर डिक्री करना चाहिये था जो नहीं कर विचारण न्यायालय ने तथ्य व विधि की भूल की है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल हकियत संवत 1999 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 6 बीघा 6 बिश्वा की खातेदारी वादीगण के पूर्वज हनुमाना वल्द टीकू कोम माली सा.देह से नाम दर्ज है परन्तु इसके बाद वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2016 से 2019 में वादग्रस्त भूमि गंगोदेवी पत्नी गणेशाराम कोम माली के नाम तथा इसके बाद गंगादेवी पत्नी गणेशाराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त वादग्रस्त भूमि को गोरीशंकर पिता हरिकिशन महाजन को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण दर्ज होकर गोरीशंकर रिकार्डेड खातेदार बनना मुताबिक रिकार्ड प्रमाणित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संख्या 2013 से 2016 में कृषक/उपकृषक के कॉलम में वादीगण के पूर्वज हनुमान पुत्र टीकू कोम माली सा.देह कदीम व गंगा बेवा गणेशा कोम माली का नाम का अंकन है अर्थात वादीगण के पूर्वज हनुमान कदीमी कृषक के रूप में ही दर्ज है परन्तु गंगादेवी भी कृषक/उपकृषक के रूप में दर्ज है। उसके बाद की खसरा गिरदावरी गंगा बेवा गणेशा व गोरीशंकर पुत्र हरिकिशन के नाम से बनी हुई है। खसरा गिरदावरी संवत 2031 में केवल 6 बिश्वा भूमि आबादी मोहन पुत्र हनुमान जाति माली निवासी ग्राम का अंकन किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर केवल 6 बिश्वा भूमि पर हनुमान जाति माली की आबादी भूमि का कब्जा तो माना जा सकता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है परन्तु शेष वादग्रस्त 6 बीघा भूमि की काश्त के सम्बन्ध में वादी के हक अधिकार की होना दस्तावेजात से साबित नहीं होता है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर